अध्याय– तीन : अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

जल संसाधन विभाग

3.1 निष्फल व्यय

चार व्यपवर्तन योजनाओं के अंतर्गत नहर कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना शीर्ष कार्य के निर्माण में ₹ 6.13 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि व्यपवर्तन योजनायें आठ वर्ष पश्चात् भी अपूर्ण रही

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नोट 3 के अनुसार, असाधारण मामलों में, जहां पूरी परियोजना के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत होने से पहले परियोजना पर काम शुरू करना वांछनीय है, अंतिम तकनीकी अनुमान को संपूर्णता में मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निम्न शर्तों के अधीन परियोजना के घटक भागों के लिए विस्तृत अनुमानों को स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति है: 3(क) इस तरह के प्रत्येक काम या घटक भाग के लिए, एक पूरी तरह से तैयार विस्तृत अनुमान होना चाहिए और संपूर्णता में व्यय की मंजूरी में, काम या घटक भाग के अनुरूप एक स्पष्ट और विशिष्ट राशि होनी चाहिए, और 3(ग) स्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी को स्वीकृति प्रदान करने के पहले इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि व्यय की मंजूरी के उद्देश्य से तैयार की गई पूरी परियोजना से कोई भी महत्वपूर्ण विचलन की प्रत्याशा नहीं है तथा पूरी परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति की राशि व्यय की मंजूरी की राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों में 695 हेक्टेयर[1] भूमि के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने लघु सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चार व्यपवर्तन योजनाओं अर्थात् चांदोका (चांदाबेड़ा), जोंधरा (छतौड़ी), भैंसाबेड़ा और बानगांव (पारे) के लिए ₹ 13.47 करोड़[2] की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2012)। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने व्यपवर्तन योजनाओं के लिए सहमति इस शर्त के अधीन दी कि प्रभावित भूमि के मालिकों को मुआवजा देने के बाद ही काम शुरू किया जाए। व्यपवर्तन योजनाओं में शीर्ष कार्य और नहर कार्य अर्थात् वितरण चैनल शामिल थे। शीर्ष कार्यों के लिए ₹ 7.37 करोड़[3] की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा नवम्बर–दिसम्बर 2012 के दौरान दी गई थी। हालांकि, नहर कार्यों के लिए अनुमान विस्तृत अनुमानों में शामिल नहीं थे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2018) में यह ज्ञात हुआ कि सभी चार व्यपवर्तन योजनाओं में शीर्ष कार्यों का निर्माण मार्च 2014 में ₹ 6.13 करोड़[4] के व्यय के बाद पूरा हुआ था। सभी चार योजनाओं के लिए नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था (नवम्बर 2020), क्योंकि भूमि के मालिकों ने नहर के निर्माण के लिए अपनी

---

[1] चांदोका (चांदाबेड़ा) व्यपवर्तन योजना से 120 हेक्टेयर; जोंधरा (छतौड़ी) व्यपवर्तन योजना से 130 हेक्टेयर; भैंसाबेड़ा व्यपवर्तन योजना से 95 हेक्टेयर और बानगांव (पारे) व्यपवर्तन योजना से 350 हेक्टेयर।

[2] चांदोका व्यपवर्तन योजना के लिए ₹ 227.42 लाख, जोंधरा व्यपवर्तन योजना के लिए ₹ 245.24 लाख, भैंसाबेड़ा व्यपवर्तन योजना के लिए ₹ 182.18 लाख और बानगांव व्यपवर्तन योजना के लिए ₹ 692.60 लाख।

[3] ₹ 137.73 लाख (भैंसाबेड़ा), ₹ 161.17 लाख (जोंधरा), ₹ 163.28 लाख (चांदोका) और ₹ 274.60 लाख (बानगांव)।

[4] चांदोका के लिए ₹ 141.61 लाख; जोंधरा (छतौड़ी) के लिए ₹ 123.74 लाख; भैंसाबेड़ा के लिए ₹ 123.61 लाख और बानगांव (पारे) के लिए ₹ 224 लाख।

भूमि प्रदान करने से मना कर दिया था। इस प्रकार, प्रशासनिक अनुमोदन के आठ वर्ष बाद भी व्यपवर्तन योजनाएं पूरी नहीं हो सकी और नहर कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण 695 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता के सृजन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार, शीर्ष कार्यों पर किये गये ₹ 6.13 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

कार्यपालन अभियंता ने बताया (नवम्बर 2020) कि भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण नहर कार्य के लिए विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किया गया था। यह भी बताया गया कि शीर्ष कार्य उचित स्थिति में थे और संग्रहित पानी का उपयोग किसानों द्वारा अपने स्वयं के साधनों से सिंचाई के लिए किया जा रहा था और ग्रामीणों द्वारा अपने दैनिक उपयोग के लिए भी पानी का उपयोग किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि व्यपवर्तन योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण एवं नहर कार्यों के अनुमानों को अंतिम रूप दिये बिना शीर्ष कार्यों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, नहरों के निर्माण के अभाव में शीर्ष कार्यों पर किये गये ₹ 6.13 करोड़ का व्यय निष्फल रहा और 695 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण को सितम्बर 2019 में शासन के ध्यान में लाया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2021)।

3.2 ठेकेदार को अनुचित लाभ

महासमुंद जिले में जोंक बैराज के निर्माण स्थल पर उत्खनन से प्राप्त हार्ड रॉक को ठेकेदार को कम दर पर जारी किये जाने के कारण उसे ₹ 78.36 लाख का अनुचित लाभ हुआ

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 58 के अनुसार, अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट किसी गौण खनिज, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा उपक्रम के कार्यों के लिए आवश्यक हो, के किसी भूमि विशेष से उत्खनन, निकास और परिवहन के लिए कलेक्टर उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 59 के अंतर्गत आगे निर्दिष्ट किया गया था कि उत्खनन कार्य से प्राप्त होने वाले गौण खनिजों के निबटान के लिए, ऐसे खनिज के रॉयल्टी के बराबर की राशि का अग्रिम में भुगतान करने पर कलेक्टर अनुमति देगा।

महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में लोवर जोंक बैराज के शीर्ष कार्य एवं दायीं तट मुख्य नहर (आरबीसी मुख्य नहर) के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार[5] को 24 महीने (सितम्बर 2018) में पूर्ण करने के लिए ₹ 46.32 करोड़ की अनुबंधित राशि पर प्रदान किया गया (सितम्बर 2016) था। जनवरी 2021 तक कार्य प्रगति पर था तथा ठेकेदार को ₹ 46.14 करोड़ का भुगतान किया गया था।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (मार्च 2019) में पता चला है कि करार के अनुसार, प्रत्येक कार्य के लिए हार्ड रॉक की निर्गम दर तय किया जाना था और करार के अनुलग्नक–एल में उल्लेखित किया जाना था, जो नहीं किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान 50,231.43 घ.मी.[6] हार्ड रॉक का उत्खनन किया गया था और काम में उपयोग के लिए ठेकेदार को **₹ 88.40 प्रति घ.मी. की दर पर जारी (फरवरी 2016 से जून 2018 के दौरान) किया गया था**। ₹ 88.40 प्रति घ.मी. की यह निर्गम दर अधीक्षण अभियंता, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा जून 2014 में अर्थात इस कार्य की निविदा तिथि (मार्च 2016) से दो वर्ष पूर्व तय की गई थी। ₹ 88.40

[5] मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल को करार संख्या 05 डीएल/2016–17 द्वारा अनुमानित दर से 3 प्रतिशत नीचे की दर पर। कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित अवधि वर्षा ऋतु सहित 24 महीने अर्थात् सितम्बर 2018 तक थी।

[6] शीर्ष कार्य में 47,350.53 घ.मी. और नहर कार्य में 2880.90 घ.मी.।

प्रति घ.मी. के इस निर्गम दर में खनिज संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित रॉयल्टी शुल्क शामिल नहीं था।

लेखापरीक्षा ने एक अन्य संभाग (जल संसाधन संभाग, धमतरी, कोड नंबर 90) द्वारा जल संसाधन विभाग की दर अनुसूची 2010 के आइटम 505 की दर, पर्यवेक्षण एवं रॉयल्टी शुल्कों को लेकर 2018 में तय किये गये हार्ड रॉक की निर्गम दर जो ₹ 244.40 प्रति घ.मी.[7] थी, की तुलना की। इस प्रकार, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद के कार्यालय द्वारा निर्धारित हार्ड रॉक की ₹ 88.40 प्रति घ.मी. की कम निर्गम दर के कारण ठेकेदार को ₹ 78.36 लाख[8] का अनुचित लाभ मिला।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि ₹ 156 प्रति घ.मी. (₹ 244.40 प्रति घ.मी. – ₹ 88.40 प्रति घ.मी.) की दर से वसूली योग्य राशि का अंतर ठेकेदार के आगामी चल देयक से काटा जाएगा। तथापि, 21 महीने की समाप्ति के बाद भी विभाग द्वारा अभी वसूली की जानी है (जनवरी 2021)।

प्रकरण को जनवरी 2020 में शासन के ध्यान में लाया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2021)।

[7] ₹ 104 प्रति घ.मी. (दर अनुसूची का आइटम 505) + पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 10.40 प्रति घ.मी. + रॉयल्टी शुल्क ₹ 130 प्रति घ.मी.।

[8] 50231.43 घ.मी. x (₹ 244.40 – ₹ 88.40) = ₹ 78.36 लाख।